

पीपुल्स समाचार
(16-03-2015)

मध्यप्रदेश पुलिस महकमे की हकीकत आई सामने

पुलिस 60 तो बंदी को 25 रुपए में तीन वक्त की खुराक !



आदेश प्रताप सिंह भदौरिया, भोपाल
मोबाइल नं. 9826626483

चौबीस घंटे अपराधियों के पीछे भाग दौड़ करने वाली पुलिस को सुबह का नाश्ता और दोनो वक्त का भरपेट खाना महज 60 रुपए में मुहैया कराया जाता है। जबकि चौबीस घंटे पुलिस की गिरफ्त में मौजूद अपराधियों को नारते से लेकर दोनो वक्त का खाना 25 रुपए में मिल जाता है। यकीनन आप इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यह सौ पैसेसद हकीकत है मगर पुलिस महकमे की। जहां बरसों से अराज्यपत्रित पुलिसकर्मी का रोजाना 60 रुपए में दो वक्त का खाना और नारते के नाम पर माछील उड़या जा रहा है। इस भते में पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर टीआई स्तर तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे भी रोचक स्थिति उन अपराधियों की है, जिन्हें चौबीस घंटे के दौरान सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन दिलाने के लिए थाना पुलिस को प्रत्येक बंदी के हिसाब से 25 रुपए का बजट आवंटित है। जोकि एक वक्त



दो सालों से भेजा जा रहा प्रस्ताव

गत दो सालों से पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा द्वारा सरकार को पुलिसकर्मी की डाइट राशि 60 से 100 रुपए और मुल्जिमों की डाइट 25 से 100 रुपए किए जाने की मांग का प्रस्ताव भेज रहा है। जिसे कई बार सरकार द्वारा ठुकराया जा चुका है, हाल ही में मुख्यालय ने फिर से अपनी लखित मांगों को लेकर प्रस्ताव भेजा है।

की पर्याप्त खुराक के हिसाब से भी नाकाफी है।

39 लाख का नाकाफी बजट

पुलिस विभाग को पुलिसकर्मी और मुल्जिम टाइट के नाम पर 2015-16 के लिए 39 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। पुलिस मुख्यालय के

अधिकारियों के मुताबिक सालों से पुलिसकर्मी अपने थाने के दीगर बजट में कटौती और जनसहयोग से लॉकअप में बंद मुल्जिमों को बमुश्किल डाइट दे पाते हैं। इस वर्ष का स्वीकृत बजट का नाकाफी मानते हुए मुख्यालय के अधिकारी इसे बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

पहले जिला प्रशासन देता था मुल्जिम डाइट...

पूर्व में थानों में बंद मुल्जिम डाइट की राशि जिला कलेक्टर कार्यालय से पुलिस थानों को दी जाती थी। सरकार उक्त राशि के बजट का आवंटन जिला कलेक्टर कार्यालय के नाम पर करता था, जहां से आवंटन की राशि प्राप्त करने में पुलिस का काफी व्यवहारिक दिक्कत होती थी। सूत्र बताते हैं कि पिछले करीब पांच सालों से जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा पुलिस थानों को राशि मुहैया ही नहीं कराई जा रही थी। जिसके बाद उक्त बजट सीधे पुलिस विभाग को दे दिया गया। करीब दो सालों से मुख्यालय इस राशि में बढ़ोतरी का प्रयास कर रही है।

भते कम अधिकार पैसों...

शुरुआती 8 घंटे की झूटी तक पुलिसकर्मी को कोई भत्ता नहीं दिया जाता। 8 से 12 घंटे की झूटी के दौरान वह नारते की डाइट का हकदार होता है। 15 से 18 घंटे की नौकरी करने वाले पुलिसकर्मी को नारते के साथ एक वक्त के आने की डाइट मिलती है। 18 घंटे से ज्यादा नौकरी करने वाले पुलिसकर्मी को नाश्ता और दो वक्त का खाना देने का प्रावधान है।

